राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक :– प.13(1)/वित्त/नियम/2003 जयपुर, दिनांक : 12.08.2004

परिपत्र

विषय :– राजकीय उपक्रमों/स्वशासी निकायों में 1.1.2004 के बाद नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्त विभाग के समसंख्यक मेमोरेण्डम दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 (प्रति संलग्न) के द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं उसके बाद सीधी भर्ती से नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशन के स्थान पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी हैं।

राज्य के उपक्रमों/स्वशासी निकायों में जहाँ पर वर्तमान में कर्मचारियों की सेवानिवृति पर पेंशन देय हैं, उन उपक्रमों/स्वशासी निकायों के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया हैं कि दिनांक 01.01.2004 एवं उसके बाद सीधी भर्ती से नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर दिनांक 01.01.2004 से पेंशन के स्थान पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की जावें।

नियोक्ता एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि को पी.डी. खाते में जमा किया जावें। वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.08.2004 के प्रावधान (प्रति संलग्न) के अनुसार उक्त जमा राशि पर ब्याज देय होगा।

(मुकुन्द सोहोनी)
उप शासन सचिव (द्वितीय)